मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

अता. 2338 परिशिष्ट "अ"

क्रमांक एफ 6-92/सात/ना-2बी/92 भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,

जिला-मुरैना (म०प्र०)

विषय:- आदर्श गुरुकुल महाविद्यालय जौरा [illegible] को भवन निर्माण हेतु 45000 वर्गफुट भूमि स्थाई पट्टे पर आवंटन बाबत ।

=====

राज्य शासन ग्राम अल्लापुर की भूमि सर्वे क्र. 1137 रकबा 4 बीघा में से 2 बीघा भूमि अर्थात 45000 वर्गफुट भूमि प्रब्याजि रूपये 37,500=00 (रूपये सैंतीस हजार पांच सौ) तथा वार्षिक भू-भाटक रूपये 750-00 (रूपये सात सौ पच्चास) लेकर आदर्श गुरुकुल महाविद्यालय जौरा को भवन निर्माण हेतु निम्नानुसार सामान्य शर्तों के साथ निम्न विशेष शर्तों पर स्थाई पट्टे की स्वीकृति प्रदान करता है:-

(1) यह कि यदि दी गई भूमि उस विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों को छोड़ जिसके जिनके लिए दी गई हो, किसी अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाए, तो शासन वापस ले लेगा ।

(2) यह कि यदि दी गई भूमि किसी भी समय राज्य शासन द्वारा वापस ले ली जाय तो उसके मुआवजे की रकम, भूमि प्राप्त करने के लिए शासन को [illegible] की गई रकम (यदि कोई हो) और साथ ही भूमि गृहिता द्वारा भूमि की लागत या उनके वर्तमान मूल्य जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी ।

(3) यह कि यदि भूमि गृहिता की ओर से शर्तों के भंग किए जाने के परिणाम स्वरूप शासन द्वारा भूमि वापस ले ली जाए तो शासन निम्नलिखित दो बातों में से कोई भी [illegible] कर सकता है:-

(अ) भूमि पर निर्मित की गई किन्हीं इमारतों को उनकी लागत अथवा वर्तमान मूल्य जो भी कम हो का भुगतान कर अपने अधिकार में लेना अथवा ।

(ब) - भूमि गृहिता से यह कहना कि वह इमारतों को हटा दे और शासन द्वारा नियत उचित अवधि (जो उसकी सूचना में स्थापित की जा दे) [illegible] भूमि गृहिता इस आदेश का पालन नहीं करेगा तो इमारत अथवा इमारतें शासन के कब्जे में चली जायेंगी ।

...2..

2/ आदेश जारी होने की तारीख से आवेदक/कृषक से प्रब्याजि की सम्पूर्ण राशि व भू-भाटक की राशि छः माह के अन्दर जमा करायें यदि वे निर्धारित अवधि तक प्रब्याजि व भू-भाटक जमा नहीं करते हैं तो आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृ०क्र० 1003/[illegible] दिनांक 21-12-92 द्वारा महालेखाकार म०प्र०ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

4/ आपके कार्यालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक xxxx 1/91-92/अ-20(1) मूलतः लौटाया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा,
आदेशानुसार,

(sd)
(पी.डी. अग्रवाल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

पृ०क्र० 6-29/सात-2ए/92

भोपाल, दिनांक 18/11/92

प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सचिव, म०प्र०शासन वित्त विभाग भोपाल को और आदेश की प्रति महालेखाकार म०प्र०ग्वालियर को पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित।

2/ आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना की ओर उनके पत्र क्रमांक क्यू/राजस्व/19-15/1/92 दिनांक 2 जून, 92 के संदर्भ में सूचनार्थ।

3/ प्राचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जौरा जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ।

(sd)
अवर सचिव
म०प्र०शासन, राजस्व विभाग